न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

नि0 – 172 – IV/16

1– महिला सोनाबाई पत्नि किशन यादव ,

2– महिला रामादेवी पत्नि ठाकुरदास यादव ,

निबासी ग्राम पटौरी, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

3– पुरूषवा तनय वल्देव सौंर, फौत वारिसान पुत्र रगवर सौंर

ए– नन्नू तनय रगवर सौंर, बी– किशन तनय रगवर सौंर,

निबासी ग्राम डारगुंवा, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

................आवेदकगण

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला द्वारा प्र0 क्र033 / पुनर्विलोकन / 2012–13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03 / 01 / 2013 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

२– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पटौरी खालसा स्थित भूमि खसरा नंबर 27 , 52 ,53, 55 / 2 , 57 , 57ब रकवा 3.791 हैक्टर आवेदक कमांक 03 पुरूषवा के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज थीं उपरोक्त भूमि को बिक्रय करने वावद आवेदक कमांक तीन द्वारा एक आवेदनपत्र कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ को बिक्रय की अनुमति प्रदान करने वावद प्रस्तुत किया गया। जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण कमांक 02 / अ–21 / 07–08 में पारित आदेश दिनांक 23 / 09 / 2008 के द्वारा आवेदक 03 को भूमि बिक्रय करने की अनुमति विधिवत प्रक्रिया अपनाकर तहव एवं अनु0 अधिकारी अनुशंशा के आधार पर की प्रदान कर दी। जिसके आधार पर आवेदकगण कमांक 1 व दो द्वारा उपरोक्त भूमि आवेदक कमांक 03 से जरिये रजिस्टर्ड वैनामा के प्रतिफल प्रदान करके कय कर ली तथा कय दिनांक से ही आवेदक कमांक 1 व 2 उपरोक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरारी 172–दो/2016 **जिला** –टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
18.01.16	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 33/पुनर्विलोकन/12–13 में पारित आदेश दिनांक 03.01.13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 जिसे आगे संहिता कहा जावेगा की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक कमांक –1 व 2 ने आवेदक कमांक–3 पुरूषवा से ग्राम पटौरी खालसा स्थित भूमि खसरा न0 27, 52, 53, 55/2, 57, 57ब, रकवा 3.791 हैक्टेयर जरिये वैनामा से कय की थी, जो आवेदक कामंक 03 पुरूषवा के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज थी, उपरोक्त भूमि को विकय करने बावत आवेदक कमांक –3 द्वारा एक आवेदनपत्र कलेक्टर जिला टीकमगढ को विकय की अनुमति प्रदान करने बावत प्रस्तुत किया गया, जिसे कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–21/07–08 में पारित आदेश दिनांक 23.9.2008 के द्वारा आवेदक कमांक–3 से कय कर ली थी। कलेक्टर द्वारा अपने पूर्वाधिकारी के आदेश दिनांक 23.9.2008 में यह कमी पाये जाने पर कि आदेश पारित करते समय कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया था, कि कितनी कीमत में यह भूमि विकय की जावेगी। तथा किस व्यक्ति द्वारा कय की जावेगी। कलेक्टर टीकमगढ द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत प्रकरण में पुनर्विलोकन किये जाने	

की अनुमति राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर से प्राप्त की गई व आदेश दिनांक 3.1.2013 के द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23.9.2008 को निरस्त करते हुये अंतरण को शून्यवत घोषित किया । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये । उन्हें श्रवण किया गया। प्रकरण सुनवाई बावत ग्राह्य कर गुण दोषों पर निराकरण किया जा रहा है उन्होंने अपने तर्को में कहा है कि भूमिस्वामी पुरूषवा तनय वल्देवा सौंर द्वारा विधिवत रूप से अपनी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से प्राप्त करने बावत विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसकी कलेक्टर ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया था। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने की अनुसंशा की थी, कलेक्टर ने निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर विक्रय करने की अनुमति दी थी। मैंने प्रकरण एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भूमि का पूर्ण प्रतिफल नहीं दिया गया है। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा 23.9.2008 को विक्रय की अनुमति देने व तत्पश्चात निष्पादित विक्रय पत्र में प्रतिफल की कमी की कोई शिकायत विक्रेता पुरूषवा द्वारा नहीं की गई थी। इस कारण उन्होंने पारित आदेश दिनांक 3.1.13 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। पूर्व कलेक्टर द्वारा तत्समय प्रचलित गाईड लाईन के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी गई थी। तदनुसार ही उसके प्रतिफल का भुगतान किया गया था। तथा

यदि कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के नाम से विक्रय की अनुमति दी जाती तो वह व्यक्ति सुविधा एवं शर्तों के अनुसार भूमि क्रय करता और विक्रेता को उसका सही मूल्य नहीं मिलता। आवेदक की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि भूमि का विक्रय सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कपट पूर्ण संव्यवहार नहीं हुआ है। अतएव स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन की कार्यवाही उचित नहीं है। मेरे द्वारा एवं मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों का निराकरण करते हुये कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.1.2013 को वैद्य नहीं माना है। जिनकी विषय वस्तु एक समान होने से इस प्रकरण में भी पारित आदेश दिनांक 3.1.2013 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को के प्ररिप्रेक्ष्य में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 2/अ–21/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 23.9.2008 में विवादित भूमि को निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर विक्रय करने की अनुमति दी है। विक्रय उपरांत राजस्व अभिलेख में नामांतरण भी हो चुका है । पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी प्रकरण कमांक 833–दो/13 रामराजा होम्स विरूद्ध शासन एवं अमित कुमार विरूद्ध रानी वगैरह में आदेश दिनांक 22.10.2014को पुनर्विलोकन आदेश स्थिर रखते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.1.2013 को निरस्त किया है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 33/पुनर्विलोकन/12–13 में पारित आदेश दिनांक 3.1.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया

जाता है, तथा प्रकरण कमांक 02/अ–21/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 23.9.2008 बहाल किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर केताओं के नाम पूर्ववत दर्ज किये जावें ।

सदस्य